न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :: दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

[illegible]ना पत्र संख्या 45/21 | दायर दिनांक– 06.08.2021

संदीप कुमार पुत्र केशरसिंह जाति जाट निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान।

–आवेदक

–:: बनाम ::–

1. मनभरी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी चैनाराम का बास, तहसील व जिला सीकर राज0।
2. सावित्री पुत्री स्व0 गणपत, पत्नी केशरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर राज0।
3. कविता पुत्री केशरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर राज0।
4. गरिमा पुत्री केशरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर राज0।
5. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राज0।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक :– श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़
वकील अनावेदकगण :– श्री सुरेश कुमार सीगड़

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0धारा 212 राज0काश्त0अधि0

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 05.07.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– यह कि उपरोक्त उनवान का एक दावा माननीय न्ययालय में बाकायदा पेशकर दिया है जो बहुत मजबूत आधारो पर पेश किया गया है जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी सम्भावना है।

यह कि राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1.01 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर अवस्थित है जिसका पहले का खातेदार काश्तकार आवेदक के पूर्वज गणपतराम की खातेदारी की भूमि रही है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है।

यह कि स्वर्गीय गणपतराम की फौत होने पर उसके दो वारीस पैदा हुये जो मनभरी व सावित्री है तथा सावित्री के संदीप, कविता व गरीमा है।

यह कि विवादित भूमि की खातेदारी पूर्व में आवेदक के नाना गणपतराम के नाम से दर्ज रहीं है व वहीं उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 गणपतराम की मृत्यु के पश्चात् भूमि की खातेदारी अकेले अनावेदिका नं. 1 व 2 के नाम से दर्जकर दी गई जबकि उक्त विवादित भूमि में आवेदक अनावेदिकागण नं. 1 व 2 के साथ–साथ आवेदक व अनावेदिकागण नं. 3 व 4 का भी 1/8–1/8 हिस्सा था, परन्तु गलती में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया और सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अनावेदिका नं. 2 का नाम से दर्ज कर दिया। आवेदक की पैत्रिक सम्पति होने से आवेदक अपने 1/8 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसके लिए दावा बाबत् घोषणार्थ का पेश किया जा चुका है।

यह कि विवादित भूमि आवेदक की पैत्रिक संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो आवेदक को उसके नाना से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें आवेदक का जन्म से ही हक अधिकार है, परन्तु अनावेदिकागण नं. 1 व 2 उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की आडत्र में आ[illegible] खातेदारी की भूमि पर से बेदखल कर उक्त विवादित भूमि को विक्रय करने पर आमादा है जि[illegible] लिए [illegible]तातार भू–माफिया गिरोह के लोगो को सम्पर्क में है। दिनांक 01.08.2021 को आ[illegible] था तब अनावेदिका नं. 2 अपने साथ 4–5 आदमियों को लेकर आई औ[illegible] कि उक्त भूमि पर [illegible] जावो क्योंकि इस भूमि के विक्रय का सौंदा मैंने इन लोगो के साथ कर [illegible]ा है, अगर कब्जा नहीं [illegible]तो लठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

बल पर बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेंगे। यदि अनावेदिकागण नं. 1 व 2 अपनी उक्त नाजायज मंशा में सफल हो जावेगी तो आवेदक को इतना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगा तथा कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए व फसल की नुकसानी के लिये दावे करने पड़ेगे जिसका वास्तविक अन्दाजा लगाया जाना किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकेगा, आवेदक पैत्रिक भूमि है जिसमें जन्म से ही आवेदक का खातेदारी हक अधिकार है, इसलिये आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है। इसलिये अनावेदकगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है जिसके लिये मौजूदा प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है।

यह कि अनावेदक नं. 5 सम्पूर्ण भूमि की स्वामी है व घोषणार्थ के दावे के लिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार दावा बनाया गया है ताकि दावे व मौजूदा प्रार्थना–पत्र में आईन्दा कोई नुक्श नहीं रहे।

आवेदक ने प्रार्थना–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि अनावेदिकागण नं. 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे विवादित भूमि पर से आवेदक को बेंदखल नहीं करें, आवेदक के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, भूमि को विक्रय रहन या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। ऐसा कार्य ना तो स्वंय करें, न अपने नौकर चाकर रिश्तेदार आदि से करवाये। विवादित भूमि के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक की ओर प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदकगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार सीगड़ उपस्थित आये तथा अनावेकदगण संख्या 05 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि जमीन खसरा नम्बर 56, 65 ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड की जमीन का खातेदार काश्तकार गणपत पुत्र लादू था, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु के समय उसके कानूनी व जायज वारीसो में उसकी पत्नी अनावेदक नं. 1 मनभरी तथा अनावेदक नं. 2 सावित्री है, जिनके नाम उक्त जमीन का नामान्तरण भरा जा चुका है, इस तरह गणपत के वारीसो के नाम उक्त जमीन का राजस्व रिकॉर्ड सही बनाया गया है। आवेदक ने गणपत पुत्र लादू की जमीन को अपनी पैत्रिक भूमि होना बताया है, जो गलत है तथा गणपतराम पुत्र लादूराम को अपना पूर्वज बताया है, वह भी गलत है, आवेदक की वंशावली जवाब के पैरा नं. 2 में दर्ज अनुसार है, जो इस निर्णय का भाग माना जावें, जिसके अनुसार आवेदक के पूर्वज उसका पिता केशरसिंह, उसका दादा मुकन्दसिंह और उसका परदादा गोरूराम है। इसलिये वास्तविकता यह है कि आवेदक के पूर्वज ऊपर बताये पूर्वजो से ही आवेदक को मिलती है। इस तरह आवेदक के लिये उसके नाना गणपत पुत्र लादू की जमीन पैत्रिक नहीं है तथा न ही आवेदक के लिये गणपत पुत्र लादू उसके पूर्वज है, आवेदक के पूर्वज उसके पिता, दादा और परदादा है, जिनकी जमीन में उसका हक बनता है। गणपत पुत्र लादू आवेदक का नाना था, जिसकी जमीन में आवेदक का कोई हक नहीं बनता है, गणपत की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत हक तय होंगे, जिसमें पुरूष की मृत्यु पर कौन हकदार होगा, यह बताया गया है, जिसमें अनुसूची के प्रथम में मृतक की पुत्री, पुत्र व विधवा आते है जिसके अनुसार मृतक गणपतराम के वारीसो में उसकी पुत्री और उसकी विधवा के नाम से दर्ज हो गया, गणपतराम के पुत्र संतान नहीं है। धारा 8 के अनुसार आवेदक का हक इस जमीन में नहीं बनता है, इसके पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में जवाब देहन्दा का हक बाकायदा बताया गया है जिसमें आवेदक का कोई हक नहीं बनता है। इस कारण से आवेदक का दावा व प्रार्थना–पत्र खारीज होने योग्य है। जवाबदेहन्दा ने ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र पेश कर रखा है जिसके अनुसार भी दावा व प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र की धारा 3 गलत है इस दावे के हक में जमीन के लिये गणपत की वंशावली आवेदक द्वारा प्रस्तुत की है, वह कोई औचित्य नहीं रखती है, अनावेदक नं. 2 का अपने पिता की सम्पति में अनन्य

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

16

से अधिकार है, जिसमें अनावेदक नं. 2 के पुत्र आवेदक का कोई हक नहीं बनता है। जवाबदेहन्दा रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है, जिनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।
यह कि प्रार्थना–पत्र की धारा 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। गणपत की मृत्यु पर उसकी जमीन की खातेदारी अनावेदक नं. 1 व 2 के नाम से सही दर्ज की गई है, जिसमें आवेदक का कोई हक नहीं बनता है। गणपत की कृषि भूमि आवेदक की न तो पैत्रिक है, इसलिये आवेदक का घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थना–पत्र की धारा 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। आवेदक को विरासत में उसके पिता उसके दादा व परदादा से मिली भूमि मानी जाती है, उक्त भूमि आवेदक को विरासत में नहीं मिली है, क्योंकि आवेदक को विरासत उसके पिता, दादा, परदादा से तय होती है, क्योंकि उक्त भूमि आवेदक के नाना परनाना की जमीन है, जिसमें आवेदक का कानूनन कोई हक नहीं बनता है, उक्त भूमि आवेदक के नाना की थी, जो मृतक नाना की पुत्री व पत्नी को प्राप्त हो गई है, मृतक नाना के पुत्र संतान नहीं है, उक्त जमीन आवेदक की माता के हक की है, जिसके जीवन में आवेदक को कानूनन धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार कोई हक नहीं मिलता है, आवेदक का जन्म से अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आवेदक का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जवाबदेहन्दा को अपने पिता से मिली जमीन को किसी भी तरह से उपयोग करने का अनन्य रूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है, अन्य बाते आवेदक से झुठ व मनगढ़न्त व आधारहीन लिखी है। अतः आवेदक का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जावें।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकार सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1.01 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर अवस्थित है जिसका पहले का खातेदार काश्तकार आवेदक के पूर्वज गणपतराम की खातेदारी की भूमि रही है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है। स्वर्गीय गणपतराम की फौत होने पर उसके दो वारीस हुये जो मनभरी व सावित्री है तथा सावित्री के संदीप, कविता व गरीमा है। विवादित भूमि की खातेदारी पूर्व में आवेदक के नाना गणपतराम के नाम से दर्ज रहीं है व वहीं उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 गणपतराम की मृत्यु के पश्चात् भूमि की खातेदारी अकेले अनावेदिका नं. 1 व 2 के नाम से दर्ज कर दी गई जबकि उक्त विवादित भूमि में आवेदक अनावेदिकागण नं. 1 व 2 के साथ–साथ आवेदक व अनावेदिकागण नं. 3 व 4 का भी 1/8–1/8 हिस्सा था, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया और सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अनावेदिका नं. 2 का नाम से दर्ज कर दिया। दावा घोषणाथ एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक को बेदखल नही करे कब्जे काश्त में कोई दखल नही करे। अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा रखा जाना आवश्यक है। अनावेदकगण ने जवाब में यह कही नही लिखा है कि कब्जा आवेदक का नही हैं जबकि दौराने दावा कब्जा है। कब्जा साक्ष्य आने तय होगा कि कब्जा नही था तो जवाब दावे में लिखकर नही आये। दावे में साक्ष्य से तय होना है, निर्णय नही हो तब तक कब्जा बनाए रखा जावे। दावे का निर्णय नही हो जाने तक कब्जा प्रोटेक्ट किया जावे।

वकील अनावेदक ने वकील आवेदक बहस का विरोध करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की तथा कथन किया गया कि आवेदक का कोई अधिकार नही है। माता की जमीन है माता को स्वयं के पिता से वर्णित भूमि विरासत में मिली है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार पुत्री के जीवित रहते किसी का हक नही बनता है। अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.26 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं [illegible] किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम [illegible] उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

यहां पर प्रथम दृष्टया मामाल एवं सुविधा का संतुलन का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखा का अवलोकन करने पर विवादग्रस्त भूमि वाके राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1.01 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 65 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर अवस्थित है जिसकी खातेदारी गणपत पुत्र लादू के नाम दर्ज रिकार्ड थी। गणपत के फौत होने के पश्चात विरासत से मनभरी पत्नी स्वर्गीय गणपत व सावित्री पुत्री स्वर्गीय गणपत के नाम हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र है। प्रार्थी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत माता की भूमि को पैतृक मानते हुये घोषणा चाही गई हैं। न्यायालय इस कथन से सहमत है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत माता के जीवन काल में हिदु नारी की संपति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी संपति होती है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही होना पाया जाता है बल्कि अनावेदगण संख्या 01 व 2 के पक्ष में पाया जाता है।
2. **अपूरणीय क्षति :–** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नही है। यदि अनावेदकगण संख्या 01 व 02 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अपूरणीय क्षति भी अनावेदकगण 01 व 02 को ही होगी। अनावेदगण संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अपूरणीय क्षति घटित होनो प्रमाणित नही होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:28:58 IST
Reason: SelfAttested